these things. Otherwise, for exercising that right to strike, which is guaranteed not only in this country but the world over, these men would not be kept out of service.

There was another instance of a similar nature. In 1960 there was a strike which was also declared illegal by an ordinance. It was not a one-day strike, it was a general strike. When it was brought to the notice of the then Prime Minister, Pandit Nehru, that the right to strike is a legitimate right of the workers and he could not penalise them for exercising it, he told the departments that there should not be any victimisation, and within a minute there was a clean slate.

MR. SPEAKER : He may continue on the next occasion.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : He may also start and continue next time if you agree.

MR. SPEAKER : No question of continuing next time. It may be over in 10, 15 minutes.

18.22 hrs.

DISCUSSION *RE*: NON-IMPLEMENTATION OF ASSURANCES GIVEN DURING DEBATE ON DELHI PREMISES (REQUISITION AND EVICTION) AMENDMENT BILL

MR. SPEAKER : We will now take the discussion under Rule 193. Shri Sambhali.

श्री इसहाक साम्भली (ग्रमरोहा): स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुःख के साथ ग्राज यह डिस्कशन ग्रापके सामने शुरू करना पड़ रहा है। हमारे पार्लियामेंटरी सिस्टम में कुछ ट्रेडीशंस हैं कुछ खसूसियतें हैं जिनको कि हम निभाते हैं। पार्लियामेंटरी सिस्टम में एक बहुत ग्रहम चीज गवर्नमेंट के ऐश्योरेंसेज होते हैं जो कि हाउस में दिये जाते हैं। मुझे ग्रफसोस है कि गाडगिल ऐश्योरेंस के बारे में शायद न जाने कितनी मर्तबा इस हाउस में चर्चा हुई ग्रौर न जाने कितनी मर्तबा इसके बारे में रिप्रेजेंटेशंस ग्राये लेकिन हमारी सरकार ने न जाने गाडगिल ऐश्योरेंस को कितनी बेमानी चीज समझ ली कि जिस पर कोई गौर नहीं किया गया।

स्पीकर साहब, मैं ग्रर्ज करना चाहता हूं कि यह गाडगिल ऐश्योरेंस क्या था? 29 सितम्बर 1951 को हमारे भूतपूर्व मंत्री श्री एन० वी० गाडगिल ने यहां एक ऐश्योरेंस दिया जिसमें उन्होंने यह कहा था कि जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स इंडिया की तकसीम के बाद यहां पर ग्राये हैं ग्रौर उन्होंने जो कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया है ग्रौर वह जहां कहीं बैठ गये हैं तो उनको नहीं उजाड़ा जायगा उनको नहीं हटाया जायगा। उनके ग्रल्फाज यह हैं:

> ". . . any building or part of a building on such land before the 15th August, 1950, such persons shall not be evicted."

यह उन्होंने ग्रपने भाषण में कहा है। गाडगिल ऐश्योरेंस बिलकुल साफ है। ग्रागे चल कर जो चीजें कही गयी हैं उनमें भी यह बतलाया गया है कि ग्रगर कोई प्लान हो ग्रौर उसकी वजह से उनको हटाना तो यह बात बहुत साफ तौर पर कही गयी है ग्रौर मै चाहता हूं कि जरा ग्राप उस पर गौर करें:

> "Where eviction is necessary, alternative accommodation should be provided on developed land and as far as practicable near the place of business/employment of the displaced person."

इविक्शन ग्रगर कहीं निहायत ही जरूरी हो तो यह शर्त बतलाई गई हैं। गाडगिल ऐश्योरेंस ग्राने के बाद यहां के रेफ्यूजीज ने जो लुट पीट कर ग्राये थे उन्होंने एक इतमीनान का सांस लिया ग्रौर उनको यह उम्मीद हुई कि ग्रब यहां पर हम ग्रपनी जगह पर बस सकेंगे, ग्रपनी जगह पर रह सकेंगे लेकिन मालूम नहीं कि हमारी सरकार की क्या मेहरबानी थी कि गाडगिल साहब के ऐश्योरेंस को भुला दिया गया। जो मास्टर प्लान बनाने के लिए प्रपोजल्स गये हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने जिनका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो उस वक्त यहां चीफ कमिश्नर थे, बहुत पुराने सीनियर ग्राई० सी० एस० थे, मैं तो समझता हूं कि वह बहुत ही टिपिकल ग्राई० सी० एस० ग्रफसर थे, उन्होंने उस ऐश्योरेंस की मास्टर प्लान बनाने वालों

[श्री इसहाक सम्भली]

पास भेजा तक नहीं जिससे कि यह मालूम हो सके कि हमारी सरकार का क्या कमिटमेंट है। उसका नतीजा यह हुआ कि एक मास्टर प्लान बनाने की बात की गई। वह मास्टर प्लान भी कैसे बना जिसके कि साथ जोनल प्लान बनना जरूरी है, वह मास्टर प्लान कब बनता है जरा आप गौर करें। यह ऐश्योरेंस है सन् 1951 का। मास्टर प्लान बनना शुरू होता है 1960 से और खत्म होता है 1962 में और गजब यह है कि उस ऐश्योरेंस को उनके पास नहीं भेजा जाता, मास्टर प्लान बनाने के वालों के पास नहीं भेजा जाता, जिससे कि उनको मालूम हो सके कि सरकार का भी कोई कमिटमैंट है। वहां पर क्या होता है? मास्टर प्लान बनता है, जब उनसे कहा जाता है कि आप अपने मकानात हटाइये, अब वह मकान उन्होंने किस जगह पर बनाये हैं मैं आपकी इत्तिला के लिए अर्ज करता हूं कि उसे ऐश्योरेंस कमेटी वाले मैम्बर्स लोग मौके पर उन्हें देखने के लिए गये थे तो दरअसल जहां उन के मकान बने हुए थे यह वह जगह थी जहां कि हमारे उन रेफ्यूजी भाईयों के आने से पहले जंगल था, बियाबान था और वहां रात को नहीं दिन को भी आदमियों का चलना मुश्किल था। पहले वह जमीन बिलकुल ऊबड़खाबड़ थी जिसे कि हमारे उन रेफ्यूजी भाइयों ने आकर बनाया। उन्होंने आकर उस जगह को बनाया। उन्होंने आकर उस जमीन को डेवलप किया। उन्होंने आकर अपनी मेहनत से घर के जेवर बेच कर, दूसरा सामान बेच कर और कर्जा लेकर, सरकार से कुछ मदद लेकर उस जगह को बनाया। उन लोगों से टैक्सेज वसूल किये गये लेकिन इस के बाद उनको आर्डर होता है कि आप चले जाइये, यहां से आप हट जाइये। क्यों नहीं आपको हटाया जाय? जनाबवाला, यह कितनी नाइंसाफी की बात है? हम तो यह समझते हैं कि हमारे पार्लियामेंटरी सिस्टम में ऐश्योरेंस बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे एक्जीक्युटिव पर लेजिस्लेचर की सुपरिमेसी जाहिर होती है लेकिन यहां पर ऐश्योरेंस को बिलकुल नीचे गिरा दिया गया। उनसे कहा गया कि आप अपनी जगह छोड़ दीजिये। उन के सामने कोई और चाराकार नहीं था। उन्होंने आप के दरवाजे को, लोक सभा के दरवाजे को खटखटाया। आप से इंसाफ मांगा। हमने इस मामले पर गौर किया, मौके पर जाकर देखा। मैं यह अर्ज करूंगा कि इसमें जो तीन चीजें रक्खी गई थीं, पहली चीज गाडगिल ऐश्योरेंस की, उसको भुलाया गया, दूसरी चीज जो रक्खी गई वह मास्टर प्लान की है तो मैं बतलाता हूँ कि उस वक्त कोई मास्टर प्लान ही नहीं था। उस वक्त कोई प्लान नहीं एजिस्ट करता था। तीसरी चीज यह है कि जो आलटरनेटिव जगह बतलाई गई, आपको सुन कर हैरत हो जायगी कि आलटरनेटिव एकोमोडेशन क्या और कहां आफर की गई। वह आफर की गई पंखा रोड, वजीरपुर और झिलमिल ऐरिया में जहां पर कि झुग्गी झोंपड़ी वालों को जो कि टोटल अनऐथोराइज्ड यहां पर कब्जा करते हैं और वहां सरकार उन को ले जाकर जगह देती है। उनके लिए कोई ऐश्योरेंस नहीं है और सरकार उनको वहां झुग्गी, झोंपड़ी स्कीम में जगह देती है। मैं आपके जरिए श्री जगन्नाथ राव से मालूम करना चाहता हूं कि क्या यह गाडगिल ऐश्योरेंस और झुग्गी झोंपड़ी स्कीम एक केस हो गया? क्या उनको भी वही जगह दी जायेगी और क्या उनके लिए भी वही बर्ताव होगा जो कि झुग्गी झोंपड़ी वालों के साथ होता है? क्या गाडगिल ऐश्योरेंस की कोई वकअत नहीं की जायेगी? क्या आज गाडगिल साहब मिनिस्टर नहीं रहे तो उनके ऐश्योरेंस की कोई कीमत नहीं है? इस पर सरकार को गौर करना होगा। मैं यह अर्ज करूंगा कि हमने मौके पर जाकर देखा तो बतलाया गया कि सड़क चौड़ी करनी है। हम को मिले सरदार सिंह कक्कड़, हमको मिले गुजराल साहब और हमको और बहुत से मिले जिनके कि सैकड़ों तादाद में मकानात हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप सड़क

[श्री इसहाक सम्भली]

चौड़ी करना चाहते हैं तो हम अपने मकानों में से जगह देने के लिए तैयार हैं लेकिन हमको उजाड़िये नहीं। इस लिए जाहिर बात है कि आलटरनेटिव एकोमोडेशन जो कि उनके कारोबार के प्वाइंट ऑफ व्यू से भी मुनासिब हो वह तो कहीं मयस्सर आ ही नहीं सकी। हमारी सरकार को उस वक्त का नहीं खयाल है जब कि उन्होंने यहां आकर जंगल को आबाद किया था। आज जब वह लैंड डेवलप्ड हो गया तो हमारे अफ़सरों के मुंह में पानी आता है और सरकार के भी मुंह में पानी आता है। अब अगर वह लैंड डेवलप्ड हो गया, आबाद हो गया तो क्या कसूर हुआ ? यह भी ठीक है कि आज उसके आसपास की जमीन की कीमत हो गयी हैं लेकिन यह मत भूलिये कि रेफ्यूजी भाइयों ने अपनी मेहनत से अपनी कोशिशों से उस जगह को डेवलप किया है। इसमें पार्टी का सवाल नहीं। उस कमेटी में कांग्रेस की मजोरिटी है। हम लोग भी उसमें हैं। वाजपेयी जी उसके चेयरमैन हैं। हमने वहां पर इस चीज को रखा बिना पार्टी का कोई विचार किये हुए। हमने इंसानी नुक्तेनजर से इसको देखा, हमदर्दी के साथ इस पर गौर किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन डिसप्लेस्ड परसंज के साथ नाइसाफी हुई है और इस लिए हमको मजबूर हो कर यह रिपोर्ट देनी पड़ी कि गाडगिल ऐश्योरेंस का इम्प्लेमेंटेशन नहीं हुआ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको उजाड़ा न जाए, इंसानी नुक्ते नजर से इस केस को देखा जाए। एक दो घर उजड़ने वाले नहीं हैं। सैकड़ों घर उजड़ जाएंगे, फैमिलीज की फैमिलीज उजड़ जायेंगी। उस वक्त जो मकान उन्होंने पांच हजार रुपये लगा कर बनाया था आज वह चालीस हजार में बनेगा। क्या सरकार इताना कम्पेंसेशन दे सकती है। कितना भी कम्पेंसेशन सरकार दे लेकिन उसके बिजिनैस को भी देखे। बिजिनैस प्वाइंट आफ व्यू से, मजदूरी के प्वाइंट आफ व्यू से क्या उनको वैसा एरिया मुयस्सर हो सकता है ? सबसे बढ़ कर यह बात है कि उनको कोई भी जगह आप दें, उनके लिए कुछ भी आप करें, क्या गाडगिल एश्योरेंस का इस तरह से इम्प्लेमेंटेशन हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि उनको एविक्ट न किया जाए, उनको हटाया न जाए और उनकी बिल्डिंग्ज को रेग्युलराइज किया जाए। वे वहां के डिवेलेपमेंट के लिए कोओप्रेट करने के लिए तैयार हैं, जगह भी देने के लिए तैयार हैं, सारी फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हैं। जब हमने मालूम किया कि दिक्कत क्या है तो पता चला आपके अफ़सरों से कि सड़कों के लिए उस जगह की जरूरत नहीं है, एक ग्रीन बैल्ट हमको तैयार करनी है, उसके लिए जरूरत है। क्या मजाक किया जा रहा है उनके साथ। मैं चाहता हूँ कि इंसानी नुक्तेनजर से इस समस्या पर गौर किया जाए, इसको प्रेस्टीज का इशू न बनाया जाए, इन बिल्डिंग्ज को रेग्युलराइज किया जाए, उनसे वह पैसा लिया जो कि चन्दा कमेटी ने सजैस्ट किया था और उनको उजाड़ा न जाए। जो आपकी स्कीम है, उसमें आप देखें कि खर्चा कितना होगा। आपका इन बिल्डिंग्ज को डिमालिश करने में खर्चा होगा, न्यू कंस्ट्रक्शन पर खर्चा होगा रिहैबिलिटेशन के लिए जो पैसा उनको दिया जायेगा, उसमें खर्चा होगा, जमीन की कीमत आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इन बिल्डिंग्ज को रेग्युलराइज कर दें, गाडगिल एश्योरेंस को पूरा कर दें तो आपका डिमालिशन का खर्चा बचेगा, न्यू कंस्ट्रक्शन का खर्चा बचेगा, रिहैबिलिटेशन का खर्चा बचेगा और जमीन की कीमत सरकार को मिलेगी।

इस हाउस से उन्होंने इंसाफ मांगा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हाउस उनको इंसाफ देगा। इस समस्या पर इंसानी नुक्तेनजर से गौर करेगा। एश्योरेंस की जो बात की गई है उसको पीछे न डाल कर उस पर कायम रहा जाएगा और उसको इम्प्लेमेंट किया जायेगा।

شری اسحاق سنبھلی (امروہا)

اسپیکر صاحب، مجھے بڑے دکھ کے ساتھ آج یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے سامنے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری پارلیامنٹری سسٹم میں کچھ قواعد ہیں کچھ رسمیں ہیں کیونکہ ہم نبھاتے ہیں۔ پارلیامنٹری سسٹم میں ایک بہت اہم چیز گورنمنٹ کے ایشورینسز ہوتے ہیں جو کہ ہاؤس میں دئے جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کاٹجو اشورینس کے بارے میں شاید نہ جانے کتنی مرتبہ اس ہاؤس میں چرچا ہوئی اور نہ جانے کتنی دفعہ اسکے بارے میں سوالات آئے لیکن ہماری سرکار نے نہ جانے کاٹجو اشورینس کو کتنی بے معنی چیز سمجھ لی کہ جس پر کوئی غور نہیں کیا گیا۔

اسپیکر صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کاٹجو اشورینس کیا تھا۔ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۱ کو ہمارے بھوت پورو منتری شری کے این کاٹجو نے یہاں ایک اشورینس دیا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ڈسپلیسڈ پرسنز پاکستان کی تقسیم کے بعد یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کنسٹرکشن کر لیا ہے اور وہ جہاں کہیں بیٹھ گئے ہیں ان کو نہیں اجاڑا جائیگا۔ ان کو نہیں ہٹایا جائیگا۔ ان کے الفاظ یہ ہیں:

"... *any building or part of a building on such land before the 15th August, 1950, such persons shall not be evicted."

یہ انہوں نے اپنے بھاشن میں کہا ہے۔ کاٹجو اشورینس بالکل صاف ہے۔ آگے چل کر جو چیزیں کہی گئی ہیں ان میں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی پلان ہو اور اس کی وجہ سے ان کو ہٹانا ہو تو یہ بات بہت صاف طور پر کہی گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اس پر غور کریں۔

"Where eviction in necessary, alternative accommodation should be provided on developed land and as far as practicable near the place of business/employment of the displaced person."

انہوں نے اگر کہیں ہٹانے کی ضرورت ہو تو یہ شرطیں بتلائی گئی ہیں۔ یہ کاٹجو اشورینس آنے کے بعد یہاں کے رفیوجیز نے جو لٹ پٹ کر آئے تھے انہوں نے ایک اطمینان کا سانس لیا اور ان کو یہ امید ہوئی کہ اب یہاں پر ہم اپنی جگہ پر بس سکینگے اپنی جگہ پر رہ سکینگے لیکن معلوم نہیں کہ ہماری سرکار کی کیا مجبوری تھی کہ کاٹجو صاحب کے اشورینس کو بھلا دیا گیا۔ جو ماسٹر پلان بنانے کے لئے میوزلس گئے ہمارے چیف کمشنر صاحب نے جن کا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا جو اسوقت یہاں چیف کمشنر تھے بہت بڑے چیف کمشنر آگئے۔ میں تو سمجھتا ہوں کاٹجو صاحب بھی ٹھیک تھے انہوں نے اس اشورینس کو ماسٹر پلان بنانے والوں کے پاس بھیجا تک نہیں جس سے کہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہماری سرکار کا کیا کمٹمنٹ ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ماسٹر پلان بنانے کی بات کی گئی۔ وہ ماسٹر پلان بھی کیسے بنا جس کے کہ ساتھ زونل پلان بننا ضروری ہے وہ ماسٹر پلان کب سے بننا ہے ذرا آپ غور کریں۔ یہ اشورینس ہے سنہ ۱۹۵۱ کا۔ ماسٹر پلان بننا شروع ہوتا ہے ۱۹۶۰ سے اور ختم ہوتا ہے ۱۹۶۲ میں اور غضب یہ ہے کہ اس اشورینس کو ان کے پاس نہیں بھیجا جاتا ماسٹر پلان بنانے والوں کے پاس نہیں بھیجا جاتا جس سے کہ ان کو معلوم ہو سکے کہ سرکار کا بھی کوئی کمٹمنٹ ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ ماسٹر پلان بنتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے مکانات ہٹائیے اب وہ مکان انہوں نے کس جگہ بنائے ہیں میں آپ کی اطلاع کے لئے عرض کرتا ہوں کہ اسے اشورینس کمیٹی والے ممبر لوگ موقعہ پر انہیں دیکھنے کے لئے گئے تھے تو دراصل جہاں ان کے مکان بنے ہوئے تھے وہ جگہ تھی جہاں کہ ہمارے ان رفیوجی بھائیوں کے آنے سے پہلے جنگل تھا بیابان تھا اور وہاں رات کو نہیں دن کو بھی آدمیوں کا جانا مشکل تھا۔ پہلے وہ زمین بالکل اوبڑ کھابڑ تھی جیسے کہ ہمارے ان رفیوجی بھائیوں نے آکر بنایا۔ انہوں نے آکر اس زمین کو ڈیولپ کیا۔ انہوں نے آکر اپنی محنت سے گھر کے زیور بیچ کر دوسرا سامان بیچ کر اور قرضہ لیکر سرکار سے کچھ مدد لیکر اس جگہ کو بنایا۔ ان لوگوں سے ٹیکسیز وصول کئے گئے لیکن اس کے بعد ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیے یہاں سے آپ ہٹ جائیے۔ کیوں نہیں آپ کو ہٹایا جائے۔ جناب والا یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیامنٹری سسٹم میں اشورینسز بڑی امپارٹینس رکھتے ہیں۔ یہ ایک نہیں بلکہ ہے جس سے ایگزیکیوٹو پر لیجسلیچر کی سپریمیسی ظاہر ہوتی ہے لیکن یہاں پر اشورینس کو بالکل نیچے کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ دیجئے۔ ان کے سامنے کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کے دروازہ کو لوگ سمجھا کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ آپ سے انصاف مانگا۔ ہم نے اس مسئلے پر غور کیا موقعے پر جاکر دیکھا۔ میں یہ عرض کرونگا کہ اس میں جو تین چیزیں رکھی گئی تھیں پہلی چیز کاٹجو اشورینس کی۔ اس کو بھلایا گیا دوسری چیز جو رکھی گئی وہ ماسٹر پلان کی ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ اسوقت کوئی ماسٹر پلان ہی نہیں تھا۔ اس وقت کوئی پلان ہی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو آلٹرنیٹو جگہ بتلائی گئی آپ کو سن کر حیرت ہو جائیگی کہ وہ آلٹرنیٹو جگہ کیا اور کہاں تجویز کی گئی۔ وہ آفر کی گئی جنگلوں میں اور جھاڑیوں میں ایسا جہاں پر کہ جھگی جھونپڑی والوں کو جو کہ ... ان کو بسایا گیا ہے کرتے ہیں اور وہاں سرکار ان کو لے جاکر جگہ دیتی ہے۔ ان کے لئے کوئی اشورینس نہیں ہے اور سرکار ان کو وہاں جھگی جھونپڑی اسکیم میں جگہ دیتی ہے۔ میں آپ کے ذریعہ منتری مہودے سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ کاٹجو اشورینس اور جھگی جھونپڑی اسکیم ایک ہو گیا کیا ان کو بھی وہی جگہ

MR. SPEAKER : I would like to place before the House one point. Do the Members want a regular discussion on the basis of this rule, or, can I ask the Minister to reply straightway ? The matter is such that one by one the Members may like to raise their points, and it may be difficult. To save time, I would ask the Minister to reply now. If it is not satisfactory or sufficient, later on next time, we shall see.

श्री इसहाक सामभली : कायदा यह है कि जो कमेटी का चैयरमेन होता है वह भी कुछ कहता है ।

شری اسحاق سمبھلی : قاعدہ یہ ہے کہ جو کمیٹی کا چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی کچھ کہتا ہے

MR. SPEAKER : I did not prevent him. It is only after you agreed that I am colling the Minister, otherwise, I would have asked him to speak.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर) कुछ बड़बड़ बोलेंगे तब मुझे भी बोलना पड़ेगा ।

THE MINISTER OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY (SHRI JAGANATH RAO): This discussion arises out of the Gadgil assurances in the year 1951. The hon. Member who has initiated this discussion went on to say that the assurances were not respected at all. It is far from true. I may point out that so far, 27,700 persons were given alternative accommodation or aid for rehabilitation, even though 7,200 of them were such as had squatted after 15th August, 1950, to whom this assurance would not apply. Besides that,

[Shri Jaganath Rao]

the Delhi Municipal Committee provided accommodation to 2,278 refugee shopkeepers. Government also decided to write off approximately Rs. 20 lakhs which was recoverable from such persons by way of damages due to unauthorised squatting on Government land. Thus, the Government have already been taking a generous and humanitarian outlook. Therefore, there was no hardship caused. Unfortunately, some persons were left over. Their problem had to be solved.

The Chanda Committee went into the question in 1960 and gave a report. According to this report, those persons who were left over and who were in unauthorised occupation of Government land should be given land ranging between 80 and 200 square yards, depending upon the financial capacity of the eligible squatters and displaced persons and the size of the family. This recommendation of the Chanda Committee has been endorsed by the Committee on Government Assurances (Fourth Lok Sabha) in paras 51 and 54 of their report.

This recommendation would be implemented. I agree that these unauthorised persons should not be equated to the jhuggi-jhopri dwellers and 25 square yards would not be proper. That is why 80 to 200 square yards, as recommended by the Chanda Committee, will be given. This is being processed.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : How soon will it be given ?

SHRI JAGANATH RAO : As early as possible. I cannot fix a deadline, because the Master Plan was adopted in September 1962 and I cannot allot any land for use which is not in accordance with the Master Plan. Objections should have been raised at the proper time. When objections were not raised or having been raised were not accepted by the DDA, it is difficult for me to go against the Master Plan.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : The Gadgil Assurances were given long before the Master Plan was formulated. Why did you not take into consideration the Gadgil Assurances while drawing up the Master Plan ?

SHRI JAGANATH RAO : The Master Plan came in 1962. They should have raised the objection at that time. If they did not raise any objection or if the objections were raised and over-ruled, I cannot do anything. Taking all this into consideration, we are trying to do whatever is possible. There are five unauthorised persons who have built houses in Peorvi Marg i. e. Ganga Ram Hospital Road. They have not vacated. They have been given alternative land, but they do not want to demolish the houses. They went to court and still they are in unauthorised occupation. We are anxious to settle the left-over cases. There is no intention to bypass the assurances. The assurances given by Government are being respected and will be respected.

There is one recommendation in para 60 of the report that the left-over problem should be given to the Rehabilitation Department. We had a meeting with that department, but they are not willing to take it over, because they are winding up their department. Therefore, this problem will have to be dealt with by this ministry and this will be dealt with as early as possible.

श्री इसहाक सम्भली : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस वक्त मास्टर प्लान तैयार हो रहा था, तो क्या उस वक्त मिनिस्ट्री वे

मास्टर प्लान तैयार करने वाले अफ़सरान वर्ग रह को अपने कमिटमेंट्स और एशोरेंसिज़ भेजे या नहीं; अगर नहीं भेजे, तो क्यों नहीं ।

شری اسحاق سمبھلی: میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس وقت ماسٹر پلان تیار ہو رہا تھا، تو کیا اس وقت منسٹری نے ماسٹر پلان تیار کرنے والے افسران وغیرہ کو اپنے کمٹمینٹس اور ایشورنس بھیجے یا نہیں اگر نہیں بھیجے تو کیوں نہیں؟

SHRI JAGANATH RAO : I am not in a position to say anything. In 1962 I was not in charge.

श्री इसहाक सम्भली : स्पीकर साहब, यह तो कोई जवाब नहीं है ।

شری اسحاق سمبلھی: سپیکر صاحب یہ تو کوئی جواب نہیں ہے

MR. SPEAKER : Assurances given by Government continue, whichever Governmay come to office. Government may change, but assurance continue.

SHRI S. M. BANERJEE : (Kanpur) Mr. Mehr Chand Khanna did not fulfil the assurances given and that is why he lost.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Even the recommendations of the Chanda Committee have not been implemented so far.

SHRI JAGANATH RAO : That is the left-over broblem, which was referred to by the hon. Member.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई मिनिस्टर 1962 में मिनिस्टर नहीं था, जो डिपार्टमेंट तो उस समय भी था । इस लिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि यह उस ससय मिनिस्टर नहीं थे ।

SHRI JAGANATH RAO : I only said that I am not now in a position to say anything about it.

18·40 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA– *Contd.*

SECRETARY : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 5 Bill, 1968, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 18th December, 1968, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (Railways) No. 6 Bill, 1968, which was passed by the Lok